

कार्यालय आदेश सं - 111 /2021

इस कार्यालय के पत्रांक KA/283/IR-ID/MT/Guard/SONPUR/2020/PART-I दिनांक- 11.09.2020 एवं मरेप्र(का.)समस्तीपुर मंडल के पत्र सं- का/283/परि./ज.वि.प्र./पार.स्था./सम./2019, दिनांक- 26.11.2020 द्वारा श्री रितेश कुमार पुत्र- श्री शशि भूषण प्रसाद, माल गार्ड, अधीन स्टेधी/बरौनी सोनपुर मंडल एवं श्री मृणाल कुमार, माल गार्ड, समस्तीपुर मंडल, पूर्व मध्य रेलवे के साथ वेतन बैंड 5200 -20200 + जीपी-2800, लेवल-05 में अंतर मंडलीय पारस्परिक स्थानांतरण पर दोनों मंडलों की सहमती प्राप्त है। पारस्परिक स्थानांतरण निम्न शर्तों के साथ अनुमेय होगा।

01. विरमन के समय कर्मचारी डीएआर/एस0पी0ई0 मामले से मुक्त होना चाहिये।
02. नियमानुसार दोनों कर्मचारियों को किसी प्रकार का भत्ता तथा सीटीजी/पास/स्थानांतरण अवकाश देय नहीं होगा।
03. नियमानुसार दोनों कर्मचारी पुराने मंडल में दुबारा स्थानांतरण नहीं लेंगे।
04. वरीयता पारस्परिक स्थानांतरण के नियमानुसार निर्धारित किया जाएगा।

(रवि कुमार पंडित)

सकाधि -II

कृते मरेप्र(का.)/सोनपुर

दिनांक- 12.02.2021

सं - KA/283/IR-ID/MT/Guard/SONPUR/2020/PART-I

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वमपचाप्र/वमविप्र/ सोनपुर
2. मरेप्र(का.)/समस्तीपुर मंडल
3. स्टेधी/बरौनी/मुज. - कर्मचारी को अद्यतन अवकाश विवरण के साथ कार्यालय कार्य दिवस में विरमित कर भेजने की व्यवस्था करें।
4. मुख्य कार्याधी बिल/बरौनी/सोनपुर
5. सम्बंधित कर्मचारी
6. अभिलेख प्रति
7. कार्यालय आदेश प्रति
8. मंडल मंत्री ईसीआरकेयू, ओबीसी, एससी- एसटी एशोसिएशन

कृते मरेप्र(का.)/सोनपुर